राजस्थान सरकार
जिला सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, जैसलमेर

फोन/फेक्स : 02992–252377 ई–मेल : pro252377@gmail.com Web Site :www.dipr.rajasthan.gov.in

प्रेसनोट
24.12.2018

अर्हता दिनांक 01.01.2019 के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर बैठक सम्पन्न – जिला निर्वाचन अधिकारी(कलक्टर) ने मतदाता सूची में वंचित रहे लोगों के अधिकाधिक नाम जुड़वाने की कि अपील

जैसलमेर, 24 दिसम्बर। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार आगामी अर्हता दिनांक 01.01.2019 के संदर्भ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम 26 दिसम्बर ,बुधवार से प्रारम्भ होने को लेकर विभिन्न राजनैतिक दलों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) ओम कसेरा की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया।

इस बैठक के अवसर पर इण्डियन नेशनल कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष शंकरलाल माली , भारतीय जनतापार्टी जैसलमेर जिलाध्यक्ष जुगलकिशोर व्यास , जिलाध्यक्ष , राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसलमेर अमृतलाल मेघवाल ,नायब तहसीलदार (निर्वाचन) जैसलमेर सत्यप्रकाश खत्री तथा कनिष्ठ सहायक निर्वाचन विभाग जैसलमेर पूनमदान उपस्थित थे।

बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) कसेरा ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बैठक के अवसर पर संदर्भ तिथि 01.01. 2019 के संबंध में मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिये निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित किये कार्यक्रमानुसार इस अवधि के अन्तर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के बारे में बिन्दुवार विस्तार से जानकारी प्रदान की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों को आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान बूथों की संख्या बढाए जाने के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करने को कहा। उन्होंने इन चुनाव में वंचित रहे लोगों से आह्वाहन किया कि वे मतदाता पंजीकरण के लिए फार्म नम्बर–6 को सावधानीपूर्वक भर अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य ही जुड़वाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने संबंधित बी.एल.ओ. को इस कार्यक्रम को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए निर्देशित किया गया है कि वे पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अधिकाधिक नये युवा मतदाता तथा वंचित रहे लोगों के नाम अधिकाधिक संख्या में जोड़ने की तत्काल कार्यवाही करने को कहा।

उन्होंने बताया कि इस पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिन लोगों की आयु आगामी दिनांक 01 जनवरी ,2019 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो चुकी है ऐसे पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व समयपूर्वक अनिवार्य रुप से जोड़ावें । उन्होंनें अपील की हैं कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अधिकाधिक नये पात्र मतदाताओं के नाम सूची में आवश्यक रुप से जुड़वा कर जिला निर्वाचन विभाग को पूर्ण सहयोग दें। उन्होंने कहा कि ऐसे मतदाता जिनके नाम विधानसभा निर्वाचन में किसी कारणवश मतदाता सूची में नहीं जुड़े हैं वे भी इस अभियान के दौरान अपने नाम संबंधित बूथ लेवल अधिकारी के समक्ष आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर मतदाता सूची में अवश्य ही जुड़वाने की कार्यवाही करें।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 26 दिसम्बर 2018 को एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारुप प्रकाशन किया जाएगा। इसी प्रकार से 26 दिसम्बर से आगामी 25 जनवरी तक की अवधि के लिए दावे एवं आपत्तियॉ प्राप्त की जाएगी। इसी क्रम में 12 जनवरी व 19 जनवरी ,2019 को मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्ठियों का ग्रामसभा व स्थानीय निकाय व आवासीय वेल्फेयर सोसायटी के साथ बैठक आयोजित की जाकर इसका पठन व सत्यापन किया जाएगा।

पुनरीक्षण कार्यक्रमानुसार आगामी 13 जनवरी व 20 जनवरी को राजनैतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ विशेष अभियान की तिथि में दावे एवं आपत्तियों के आवेदन–पत्र प्राप्त किये जाएगें। इसी प्रकार 11 फरवरी 2019 को दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा एवं 18 फरवरी को डेटाबेस अपरेट करना ,फोटोग्राफ मर्ज करने का कार्य ,कंट्रोल टेबल्स को अपटेड करना पूरक मतदाता सूचियों की तैयार व मुद्रण की जाएगी और आगामी 22 फरवरी को मतदाता सूचियों का अंतिम रुप से प्रकाशन किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी कहा कि मतदाताओं के पहचान–पत्र एक से अधिक क्षेत्रों के लिये बने हुए है ऐसे व्यक्ति शेष पहचान–पत्रों को तत्काल निरस्त करवा लें। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र में उनकी भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है इसलिए वे इस कार्य में निर्वाचन विभाग को पूरा सहयोग दें।

––000––

जिला कलक्टर श्री कसेरा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रचार प्रसार वाहन रथ को हरी झण्डी दिखा कर किया रवाना

जैसलमेर ,24 दिसम्बर । स्वर्ण नगरी जैसलमेर में '' **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना** '' की विभिन्न ग्रामीणांचलों में किसानों को अधिकाधिक जानकारी प्रदान करने तथा उनको फसल बीमा करवाने के प्रति जन जागरुक करने की दृष्टि से सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर से जिला कलक्टर ओम कसेरा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रचार–प्रसार वाहन रथ को फीता काट कर व हरी झण्डी दिखा कर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये व्यापक प्रचारार्थ रवाना किया । उन्होंने बताया कि अकाल ,सूखे के दौर ,बाढ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों की फसले खराब हो जाया करती है इस स्थिति में फसलों का बीमा पहले से ही करवाया जाना किसानों के लिए एक सुरक्षित अवसर होता है ऐसी स्थिति में फसल बीमा योजना का पूरा–पूरा लाभ उठाया जाना नितांत आवश्यक है।

इस मौके पर तहसीलदार जैसलमेर वीरेन्द्रसिंह ,मुख्य आयोजना अधिकारी जिला परिषद/उपनिदेशक (जिला सांख्यिकी) डॉ.बी.एल.मीना के साथ ही एचडीएफसी ईर्गो क्षेत्रीय प्रबंधक परमानंद शर्मा , पियूषसिंह , एचडीएफसी ईर्गो जिला प्रतिनिधि अमित ,विनय ,अनुपम झा और वरिष्ठ सहायक पी.आर.ओ विभाग जैसलमेर ओमपंवार भी उपस्थित थे।

जिला कलक्टर कसेरा ने प्रारंभ में इस प्रचार वाहन रथ में प्रचारित की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित विविध गतिविधियों का अवलोकन कर पूर्ण जानकारी प्राप्त की। उन्होंने इस प्रयास को सफल बताते हुए कहा कि इस प्रचार रथ के जरिए कई ग्रामीणजनों को अपनी फसल का समय पर बीमा करवाने के संबंध में उन्हें पूर्ण जानकारी मिलेगी एवं लोगों को इनके माध्यम से जागरुक किया जा सकेगा।

जिला प्रतिनिधि अमित ने बताया कि आज यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रचार वाहन रथ ग्रामीणॉचलों के भ्रमण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम हमीरा तथा थईयात गांवों की ओर जाएगा। वहां जाकर ग्रामीणांचलों के किसानों के डोर टू डोर जाएगा एवं उन्हे जागरुक कर इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करं अपनी फसलों के निर्धारित समयावधि में बीमा करवाने की जानकारी प्रदान करेगें। यह प्रचार रथ का कार्यक्रम विभिन्न ग्रामीणॉचलों में आगामी 31 दिसम्बर तक चलेगा तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसानों को पूरा–पूरा लाभ लेने के लिए अलख जगाएगा।

––000––